

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/अकादमी अवकाश/11/03/2013

दिनांक: 25 जून, 2013

आदेश

निदेशालय के पूर्व समसंख्यक पत्रांक: 393 दिनांक: 08.04.2009 के द्वारा समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता को बुलाया जाता है तो उनके द्वारा उक्त संस्थानों से प्राप्त उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, उस अवधि को कर्तव्य (Duty) पर माना जावेगा।

इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



(जी.वी. जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/अकादमी अवकाश/11/03/2013

दिनांक: 25 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 2. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
 3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को पालनार्थ।
 5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
 6. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
- डा० धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर